संख्या-2782/9-6-2009

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

3-निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 05 अक्टूबर, 2009

विषय:- नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के विरुद्ध जाँच आख्याओं/संस्तुतियों पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर अनिवार्य होने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-882(1)/9-6-1993, दिनांक-18 मार्च, 1993 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-48 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में इस आधार पर स्थगनादेश प्रदान कर दिये गये हैं कि अध्यक्ष के विरुद्ध की गयी जाँच जिलाधिकारी द्वारा नहीं की गयी है, किसी अधीनस्थ अधिकारी की जाँच आख्या से सहमति व्यक्त कर दी गयी है तथा अध्यक्ष को जाँच के दौरान नैसर्गिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा-34, 35, 36 और 87-क के अनुसार केवल जिला मजिस्ट्रेट ही नगर पालिकाओं के प्रकरण में सक्षम एवं सर्वाधिक प्राधिकारी हैं। राधारमन धवन प्रसाद सिंह बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए0डब्लू0आर-246 के अनुसार अधिनियम में दिये जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग कोई अन्य जिला मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिकाओं, उनके अध्यक्षों,

2/

अनियमितताओं और लापरवाही के सम्बन्ध में जाँच आख्याओं में संस्तुतियों पर लागू होते हैं जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, किसी अधीनस्थ अधिकारी की जाँच आख्या से सहमति व्यक्त कर देने से वह जिला मजिस्ट्रेट की जाँच आख्या नहीं मानी जा सकती है।

4- अतः उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक विषय में किसी जाँच अधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी किसी जाँच की जाँच आख्या पर अपना सुस्पष्ट अभिमत अपने नाम से पदनाम से हस्ताक्षर करके ही प्रेषित किया करें और अनिवार्यतः यह सुनिश्चित करें कि ऐसी जाँचों में आरोपी पक्ष को नैसर्गिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाये।

कृपया उपर्युक्त व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2782(4)/1-6-07-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न विवरण अनुसार 1 व 2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(विजय बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।